



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 17, 2018/ वैशाख 27, 1940

No. 320]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 17, 2018/VAISAKHA 27, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

सा.का.नि. 459 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित करने का प्रस्ताव करती है जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, तथा एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख के तीस दिनों के बाद विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में ऊपर निर्धारित अवधि के अंदर किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा ।

आपत्तियां तथा सुझाव श्री एस. के. सिंह, अवर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जाएं ।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2018 कहा जाए ।
- (2) ये राजकीय गजट में अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में नियम 29 (2) के परंतुक में “रुपये पांच लाख” के स्थान पर “रुपये पांच करोड़” प्रतिस्थापित किए जाएं ।

[फा.सं. एस-38012/05/2018-एसएस. I]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम अधिसूचना सं. का.नि.आ. 212 दिनांक 22 जून 1950 द्वारा प्रकाशित किए गए तथा अंतिम बार नियम 29 का अधिसूचना सं. सा.का.नि. 594 दिनांक 29.3.1963 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2018

G.S.R. 459(E).—The following draft of certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 which the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after thirty days from the date of publication in the official Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above, will be considered by the Central Government.

The objections and suggestions may be addressed to Shri. S. K. Singh, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

DRAFT RULES

- (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Second Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in the first proviso to Rule 29(2) for the words “Rupees Five Lakhs”, the words “Rupees Five Crores” shall be Substituted.

[F.No. S-38012/05/2018-SS. I]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 212 dated the 22nd June, 1950 and Rule 29 was last amended *vide* notification number G.S.R. 594 dated the 29-3-1963.